न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/53/2019	2019/00401	01.10.2019	19.04.2021

1. रामफल उम्र 55 साल पुत्र स्व0 श्री जगमाल जाति चमार निवासी नानगवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।
2. केला देवी पुत्री स्व0 श्री जगमाल जाति चमार निवासी नानगवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 पत्नि स्व0 श्री बनवारी जाति चमार निवासी नैन्थलवास तहसील नांगलचौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
3. सुरेश देवी पुत्री स्व0 श्री जगमाल जाति चमार निवासी नानगवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 पत्नि शेरसिंह जाति चमार निवासी ढाणी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
4. कश्मीरा देवी पुत्री श्री जगमाल जाति चमार निवासी नानगवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 पत्नि श्री छाजूराम जाति चमार निवासी खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

–अपीलान्टस

बनाम

1. रेखा पुत्री रामफल जाति चमार निवासी नानगवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
2. धोली पुत्री रामफल जाति चमार निवासी नानगवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
3. नायब तहसीलदार माढंण तहसील नीमराना जिला अलवर राज0

रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार मांढण का निर्णय दिनांक 25.05.2017 नामान्तकरण संख्या 988 ग्राम चावण्डी तहसील नीमराना जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री राधेश्याम यादव —**वकील अपीलान्ट**

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार मांढण के आदेश दिनांक 25.05.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 988 ग्रम चावण्डी तहसील नीमराना जिला अलवर जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इन्तकाल संख्या 988 मृतक जगमाल पुत्र कन्हैया की विरासत का दर्ज है। और मृतक जगमाल के जायज वारीसान केवल मात्र अपीलान्टस है। जबकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस में से कॉलम नं0 9 में केवल मात्र अपीलान्टस संख्या 1 का नाम दर्ज किया है। शेष अपीलान्टस संख्या 2 लगायत 4 के नाम अंकित नहीं है। जो विरूद्ध कानून है। उक्त इंतकाल के कॉलम संख्या 9 में रामफल पुत्र जगमाल के अलावा शेष इन्द्राज रेखा, धोली पुत्रीयान जगमाल गलत दर्ज किया गया है क्योंकि रेखा व धोली जगमला की पुत्रीयां नहीं है वे जगमाल के पुत्र अपीलान्ट नं0 1 रामफल की पुत्रीया है। इसलिए वे जगमाल की पुत्रीया ना होकर पौत्रीयां है। इसलिए उक्त इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त इंतकाल दर्ज व मंजूर करते समय अपीलान्टस को नहीं सुना ना ही कोई नोटिस दिया गया। ना ही अपीलान्टस संख्या 2 लगायत 4 के बारे में वारीसान संबंधी कोई जांच की गई ना ही अपीलान्टस को सुनवाई का कोई उचित या युक्तियुक्त समय दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 988 निर्णय

जिला कलक्टर, अलवर

दिनांक 25.05.2017 निरस्त फरमाया जाए। तथा अपीलान्टस के मृतक जगमाल के जायज वारीसान के नाम इंतकाल स्वीकृत किये जाने की कृपा करें।

वकील रैस्पॉडेन्टस उपस्थित नहीं। पत्रावली में वकील रैस्पॉडेन्टस की ओर से पेश राजीनामा का अवलोकन किया गया। जिसमें वकील रैस्पॉडेन्टस द्वारा निवेदन किया गया है कि जगमाल के वारीसान अपीलांटस हैं। रैस्पॉडेन्टस संख्या 1 व 2 जगमाल की पौत्री है। जगमाल की लडकियां नहीं है। यदि उक्त अपील मंजूर की जाती है तो हम रैस्पॉडेन्टस को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इंतकाल नं0 988 वाके ग्राम चावण्डी नायब तहसीलदार मांढण, तहसील नीमराना दिनांक 25.07.2017 स्वीकृत करने से पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा मृतक जगमाल के वारीसान की जांच नहीं की गई। रैस्पॉडेन्टस संख्या 1 व 2 को मृतक जगमाल की पुत्रीयां मानकर विरासत का इंतकाल दर्ज किया गया है। जबकि वकील रैस्पॉडेन्टस द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र में रैस्पॉडेन्टस संख्या 1 व 2 को मृतक जगमाल की पौत्रीयां होना स्वीकार किया है। पत्रावली में संलग्न सरपंच ग्राम पंचायत नानगवास द्वारा जारी वारीस प्रमाण पत्र में भी अपीलान्टस 1 लगायत 4 को ही मृतक जगमाल के वारीस माना गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व मृतक के वारीसान की जांच नहीं कर इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है जो खारीज योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मांढण तहसील नीमराना जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि मृतक जगमाल के वारीसान की जांच कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर, अलवर